

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

विविध अपील(M.V. Act) संख्या-22/2013

जी०एम०, सी०सी०एल०, कथारा

-बनाम्-

झारखण्ड राज्य सरकार

-आदेश:-

27.12. 2016

अभिलेख उपस्थापित। आज मैंने अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो के कार्यालय पत्रांक- 3273/परि० दिनांक-20.12.2012 में पारित आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता के द्वारा यह अपील वाद दायर किया गया है।

वाद का सार यह है कि जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा उक्त प्रसांगिक पत्र के माध्यम से महाप्रबंधक, सी०सी०एल कथारा/ढोरी/बोकारो एवं करगली तथा महाप्रबंधक, ऑपरेशन गैरेज/ट्रैफिक, बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो को सूचित किया गया है कि आपके बोरापी। कई ऐसे गाड़ी वाहन मुख्यतः निर्माण उपकरण Construction equipment i.e. Non Transport Vehicles as Define in Central Motor Vehicle Rule 2(3) धारा 39 का उल्लंघन करते पाये गए हैं। फलस्वरूप उनके द्वारा निबंधन मोटरवाहन नियमावली 1989 की धारा 2(ca) तथा मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 39 के तहत खनन/औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयुक्त अनिबधित भारी वाहनों जैसे- Dumper, Roller, Comactorr, Loader, Execuvator, backnow, Motor Grador Mobile Crane को निबधित कराने एवं Road Tax जमा करने का निवेश दिया गया। फलस्वरूप अपीलकर्ता के द्वारा यह अपील दायर किया गया।

इसी क्रम में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, बोकारो को सुना गया एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा समर्पित जॉच प्रतियेदन का अवलोकन किया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दलील दिया गया कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जा रहे वाहन विशेष बंद परिसर में चलने के कारण सिर्फ खनन क्षेत्र में उपयोग हेतु उत्पादित, अंगीकृत व डिजाईन किया गया है, जिसके कारण प्रश्नगत वाहन पूर्णतः ऑफ हाईवे है। इसलिए उन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा-2(28)c एवं मोटरवाहन नियमावली 1989 की धारा 2(ca) के तहत मोटर वाहन नहीं माना जा सकता हैं। उनका कहना है कि प्रश्नगत वाहन का उपयोग खनन क्षेत्र के अन्दर किए जाने के कारण न तो इस प्रकार के वाहन के निबंधन की आवश्यकता है और न ही इस प्रकार के वाहन Motor Vehicle Taxation Act की धारा-3 के दायरे में



आते हैं। उनके अधिवक्ता के द्वारा महाराष्ट्र राज्य के इसी तरह के अन्य मामलों का उदाहरण देते हुए कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SPL (c) no. 23527/03 दिनांक-19.12.2003 से अंतरिम रोक का इस संबंध में आदेश है।

राज्य सरकार के विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि प्रश्नगत सभी वाहन मोटर वाहन अधिनियम की धारा-2(28)c एवं मोटर वाहन नियमावली 1989 की धारा 2(ca) के तहत मोटर वाहन है तथा निबंधन एवं पथकर लिए जाने के दायरे में आते हैं। जहाँ तक अपीलकर्ता के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SPL (c) no. 23527/03 दिनांक-19.12.2003 से अंतरिम रोक के आदेश है के संबंध में दलील दिया गया वह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अतः इनके द्वारा अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

इसी संदर्भ में जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक-1608/परि0 दिनांक-14.07.2014 से स्थल जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत सभी Vehicles B.EM.L या H.EM.M के द्वारा Construction किया गया है। कम्पनी द्वारा रागी Parts को खनन क्षेत्र में भेजा जाता है तथा सभी Parts को Assemble कर वाहनों का रूप दिया जाता है। Assemble का कार्य खनन क्षेत्र के अन्दर ही किया जाता है। Tyre Mounted Vehicles off the road tyre है। OTR जिसका प्रयोग Pitch Road पर नहीं किया जा सकता है। वाहनों का वजन बहुत अधिक है। यह वाहन खनन क्षेत्र के अन्दर चलता है। खराब होने पर खनन क्षेत्र के गैरेज में खड़े होते हैं तथा Fueling के लिए खनन क्षेत्र के तेल की टंकी से तेल लिया जाता है। Dumpers ash filled, dust filled, boulder filled road पर 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। सभी वाहन मोटर वाहन अधिनियम की धारा-2(28)c एवं मोटर वाहन नियमावली 1989 की धारा 2(ca) के तहत मोटर वाहन है तथा निबंधन एवं पथकर लिए जाने के दायरे में आते हैं।

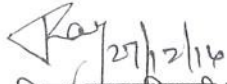
दोनों पक्षों की दलील, अभिलेख में संधारित अन्य कागजात एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निदेश पत्रांक-701/राँची दिनांक-04.07.2013 के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत सभी वाहन मोटर वाहन अधिनियम की धारा-2(28)c एवं मोटर वाहन नियमावली 1989 की धारा 2(ca) के तहत मोटर वाहन है तथा निबंधन एवं पथकर लिए जाने के दायरे में आते हैं। जहाँ तक अपीलकर्ता के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SPL (c) no. 23527/03 दिनांक-19.12.2003 से अंतरिम रोक के आदेश है के संबंध में दलील दिया गया वह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है।

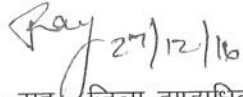


- 16 -

उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो के कार्यालय पत्रांक- 3273/परि0 दिनांक-20.12.2012 में पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता एक पक्ष के अन्दर सभी अनिवार्य वाहनों को निबन्धित कराते हुए Road Tax का भूगतान करना सुनिश्चित करेंगे। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। तदनुसार संबंधित को सूचित करे।

लेखापित एवं संशोधित।


समाहर्ता -सह- जिला दण्डाधिकारी।
बोकारो।


समाहर्ता -सह- जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

C. C. Issued Vide
No. 375 Dated 21/11/17